

कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)

Website - www.nagamigandhamtari.com, Email ID - commissioner.dhamtari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

---: मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय/तृतीय):--

क्रमांक/आयुक्त/लोक कर्म/निविदा/2021/ 1122 धमतरी, दिनांक 4/7/2021

नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा 14वें वित्त आयोग/अधोसंरचना मद/विकास शुल्क मद अंतर्गत 18 विभिन्न कार्यों (सी.सी. रोड, आर.सी.सी. नाली, एवं बी.टी. रोड आदि निर्माण) के लिए एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से पी.डब्ल्यू.डी. भवन/सड़क एस.ओ.आर. 2015 (अद्यतन सशोधित) अनुसार प्रतिशत दर पर कार्य सम्पादन हेतु निविदा प्रपत्र "ए" में त्रि-लिफाफा पद्धति से मैनुअल निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 30.07.21 तक आमंत्रित की जाती है।

उपरोक्त कार्यों के अनुमानित लागत, निर्धारित अमानत राशि एवं निविदा की सामान्य शर्तें तथा अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में निगम कार्यालय के लोक कर्म शाखा से प्राप्त की जा सकती है, तथा विभागीय वेबसाईट www.nagamigandhamtari.com एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर छ.ग. के वेबसाईट www.uad.cg.gov.in में अवलोकन एवं डाउनलोड भी की जा सकती है।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

कार्यपालन अभियंता

नगर पालिक निगम धमतरी
धमतरी, दिनांक 4/7/2021

पृ.क्रमांक/आयुक्त/लोक कर्म/निविदा/2021/ 1123
प्रतिलिपि -

01. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम धमतरी।
02. माननीय अध्यक्ष (स्पीकर), नगर पालिक निगम धमतरी।
03. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, धमतरी।
04. उपायुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, धमतरी।
05. प्रभारी सदस्य, आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग, नगर पालिक निगम धमतरी।
06. कलेक्टोरेट, जिला - धमतरी।
07. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), धमतरी।
08. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी।
09. प्रेषक, नगर पालिक निगम धमतरी को सूचना फलक में चरपा करने हेतु।
10. ग्रंथपाल, नगर पालिक निगम धमतरी को प्रकाशन पश्चात निविदा सूचना का पेपर कतरन प्रस्तुत करने हेतु।
11. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम धमतरी उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट में अपलोड करें तथा डाटा सेंटर रायपुर को भेजे।
12. संपादक, प्रतिनिधि, दैनिक नगर मिरर, (स.प. 5) ज.स. समाचार पत्र को से.मी. साईज में उपरोक्त विज्ञापन प्रकाशित किये जाने तथा प्रकाशन उपरांत विज्ञापन सहित अखबार 02 सेट में तत्काल लोक कर्म शाखा में प्रस्तुत किये जाने हेतु।

कार्यपालन अभियंता

नगर पालिक निगम धमतरी

कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)

Website - www.nagarnigamdhamtari.com, Email ID - commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

-: मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय/तृतीय) :-

धमतरी, दिनांक 14/7/2021

क्रमांक/कार्य/अभि/लोक कर्म/निविदा/2021/1122

01. निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि - 23.07.2021 कार्यालयीन समयावधि तक।
 02. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि - 26.07.2021 कार्यालयीन समयावधि तक।
 03. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 26.07.2021 कार्यालयीन समयावधि तक।
 04. निविदा खोलने की तिथि - 31.07.2021 समय प्रातः 11:30 बजे।

नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा 14वें वित्त आयोग/अधोसंरचना मद्/विकास शुल्क मद् अंतर्गत निम्नांकित कार्यों के लिए एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत राक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से पी.डब्ल्यू.डी. भवन/सड़क एस.ओ.आर. 2015 (अद्यतन संशोधित) अनुसार प्रतिशत दर पर कार्य सम्पादन हेतु निविदा प्रपत्र "ए" में त्रि-लिफाफा पद्धति से मैनुअल निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है -

क्र.	प्रस्तावित कार्य	अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेकेदार की श्रेणी	कार्यावधि
01.	सुंदरगज वार्ड में छोटी मस्जिद से बाकरे नाला तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य (द्वितीय निविदा)	17.90	13500.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	04 माह
02.	गोकुलपुर वार्ड में ब्रह्म चौक से रानी दुर्गावती चौक तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य (द्वितीय निविदा)	14.54	11000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	04 माह
03.	गोकुलपुर वार्ड में गोकुलपुर स्कूल से रानी दुर्गावती चौक होते हुए भटगांव चौक तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य (द्वितीय निविदा)	19.82	15000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	04 माह
04.	महात्मागांधी वार्ड में ईश्वर सोनकर घर से महिमारागर तालाब तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य (द्वितीय निविदा)	13.32	10000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	04 माह
05.	जोधपुर वार्ड में अरुण सिन्हा घर से अम्बेडकर चौक मंदिर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य (द्वितीय निविदा)	8.74	6600.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	03 माह
06.	रत्नाबांधा रोड रमेश लठ घर से स्वामी विवेकानंद प्रतिमा तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य (द्वितीय निविदा)	5.46	5000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	03 माह
07.	स.ब.भा. पटेल वार्ड क्र. 05 रामू साहू घर से मेन रोड तक आर सी सी नाली निर्माण (गुजराती कॉलोनी) (द्वितीय निविदा)	7.04	5300.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	03 माह
08.	औद्योगिक वार्ड क्र. 07 लोकाेश ठाकुर घर के सामने सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण, अनुसुईया घर से अखबर घर तक सी.सी.रोड निर्माण, राजू महाराज घर से अखबर घर तक रोड व नाली निर्माण एवं मोहन गुप्ता घर से राजू महाराज घर तक रोड व नाली निर्माण कार्य (द्वितीय निविदा)	3.66	3700.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	03 माह
09.	नवागांव वार्ड क्र. 08 मदन लाल महानंद से आंगन बाड़ी क्र. 02 होते हुए शीतला मंदिर एवं उमा साहू घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य (द्वितीय निविदा)	5.82	5000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	03 माह
10.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्र. 10 श्रीनाथ नगर में सी.सी. रोड निर्माण कार्य (द्वितीय निविदा)	12.00	9000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	03 माह
11.	गोकुलपुर वार्ड क्र. 23 हराड्यरी रोड में नाली व रोड निर्माण कार्य (द्वितीय निविदा)	2.56	2600.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	02 माह
12.	सौरिंद वार्ड क्र. 35 बहुर यादव घर से शत्रुघन कंवर घर तक नाली निर्माण कार्य (द्वितीय निविदा)	3.37	3400.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	03 माह
13.	शीतलापारा वार्ड क्र. 02 रामावतार धुव घर से दुर्गा मंदिर (मां गली) तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य (द्वितीय निविदा)	4.01	4000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	03 माह
14.	हटकेशर वार्ड में मन्नु निषाद के घर से अजय वैष्णव के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य (तृतीय निविदा)	2.57	2600.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	03 माह
15.	सुंदरगज वार्ड में हितेश कुमार जैन घर से गोविंद पटेल घर (प्रशांत फर्निचर के सामने) सी.सी. रोड निर्माण कार्य (तृतीय निविदा)	2.02	2100.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	02 माह
16.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड में दुलारी बाई दीमर घर से रामकुमार सिन्हा घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य (तृतीय निविदा)	1.03	2000.00	300.00	डी एवं उच्च वर्ग	02 माह
17.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड में समीर जायसवाल घर से अनिता सोनी घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य (तृतीय निविदा)	2.05	2100.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	02 माह
18.	सौरिंद वार्ड में श्रीपारा आंगन बाड़ी से बागतराई रोड बी.टी. रोड निर्माण कार्य (तृतीय निविदा)	9.09	6900.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	03 माह

शर्त :-

01. विज्ञापित कार्यों की निविदा में भाग लेने, निविदा प्रपत्र क्रय हेतु आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 23.07.21 को कार्यालयीन समयावधि सायं 05.30 बजे तक निम्नांकित दस्तावेजों की रव-सत्यापित प्रति सहित निगम कार्यालय के लोक कर्म शाखा में जमा करना अनिवार्य है -
 01. एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत वैध ठेकेदारी पंजीयन प्रमाण पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
 02. कार्य की निविदा लागत के कम से कम 15 प्रतिशत लागत राशि के बराबर या अधिक राशि का बैंक साल्वेंसी सर्टीफिकेट (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
 03. पेन कार्ड, विगत 03 वित्तीय वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2019-20) का आयकर रिटर्न।
 04. शासन नियमानुसार जी.एस.टी. में पंजीयन प्रमाण पत्र।
 05. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) में पंजीयन प्रमाण पत्र।
 06. 50.00 रुपये के नॉन ज़ुडिथियल स्टाम्प पर निविदा प्रपत्र/आवेदन में आवेदक फर्म के संबंध में उल्लेखित जानकारी सत्य होने, दस्तावेज प्रमाणित होने, किसी भी विभाग की काली सूची में दर्ज या डिबार नहीं होने एवं नगर पालिक निगम धमतरी में निकटतम रिश्तेदार कार्यरत नहीं होने की जानकारी सत्य होने का नोटरियल शपथ पत्र।
 02. विज्ञापित कार्यों के अभाव में संबंधित ठेकेदार/फर्म संबंधित कार्य की निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा तथा उन्हें निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जायेगा।
 विज्ञापित कार्यों में से सरल क्र. 18 में उल्लेखित बी.टी. रोड निर्माण कार्य हेतु डामरीकरण का कार्य हाट मिक्स हाट लेट पद्धति से किया जायेगा।
 अतः ठेकेदार के स्वामित्व में हाट मिक्सिंग प्लांट होने का लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के कार्यपालन अभियंता या उससे उच्च अधिकारी से प्रमाणित अभिलेख निविदा प्रपत्र क्रय के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

03. विज्ञापित कार्यों में से सरल क्रं. 18 में उल्लेखित बी.टी. रोड निर्माण कार्य के लिए विगत 03 वित्तीय वर्षों के किसी 01 वित्तीय वर्ष में एक ही वर्ष में आवेदित कार्य की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत लागत राशि का बी.टी. रोड निर्माण कार्य हाट मिक्स हाट लेट पद्धति से सम्पादन का अनुभव प्रमाण-पत्र (जो कि कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग अथवा संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा जारी हो) निविदा प्रपत्र क्रय के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

04. बी.टी. रोड निर्माण कार्य हेतु –

(i) The contractor shall also be responsible for performance of work carried out by him for a period of 60 (Sixty) month beyond the completion of work for which performance security has to be furnished by him @5% (five percent) of amount of contract. of for his purpose contractor has to submit to the department a Bank Guarantee of 5% amount of the value of work done on every running and final bill payable to him If contractor fails to submit bank guarantee of 5% amount of the gross bill, then 5% amount of bill shall be deducte from his running and final bill payment. However, the contactor can get refund of such performance cash security amount deducted if he submits appropriate bank guarantee valid of the perod as stated above or 60 (Sixty) month after actual completion.

If require, the Executive Engineer shall ask the contractor to extend the validity period of the Bank Guarantee (s) for such period of such Bank Guarantee accordingly. If the contractor fails to extend the period accordingly, the Executive Engineer shall encash the B.G. before the expiry of the validity period.


(ii) After their years of completion of construction, 50% (fifty percent) of available performance Bank guarantee shall be returned to the contractor subject to the satisfaction of the Executive Engineer.

(iii) Remaining performance Bank Guarantee as would be remaining (after recovery all cost plus 15% (Fifteen percent) for rectification of defects, if done by the department or through other agency) shall be returned after 60 (Sixty) months of completion. the performance guarantee will be in addition to the normal security to be deducted as per clause 1 of agreement for the execution of contract.

05. निर्धारित तिथि/समयावधि के उपरांत निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने हेतु आवेदन पत्र रवीकार नहीं किये जायेंगे और न ही निविदा प्रपत्र विक्रय किये जायेंगे।
06. निविदा प्रपत्र क्रय हेतु निर्धारित शुल्क नगद/शासन नियमानुसार बैंक ड्राफ्ट (जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी के नाम देय हो) द्वारा निर्धारित तिथि/समयावधि में ही जमा करना अनिवार्य होगा।
07. उपरोक्त वांछित समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही तथा उपयुक्त पाये जाने/निर्धारित आहंता को पूर्ण करने वाले निविदाकर ही निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे तथा उन्हें कार्य के लिए निविदा प्रपत्र जारी किया जायेगा। उपर्युक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि/असत्यता/कपट पाये जाने/कूट रचित दस्तावेज पाये जाने पर निविदाकर्ता को कमी भी अयोग्य घोषित कर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
08. जिन ठेकेदारों/फर्मों को निगम के कार्यों के लिए आमंत्रित निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जायेगा।
09. निविदा के साथ कार्यवार पृथक-पृथक निर्धारित अमानत राशि का एफ.डी.आर. (जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी के नाम से देय हो) जमा करना अनिवार्य होगा। एफ.डी.आर. का फोटो कापी मान्य नहीं होगा/समायोजन मान्य नहीं होगा।
10. निविदा दर एस.ओ.आर. से अत्यधिक कम प्राप्त होने पर शासन के प्रचलित नियमानुसार निर्धारित अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि एफ.डी.आर. के रूप में 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उपरोक्त राशि को उपरोक्त समयावधि में जमा न कराने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
11. कार्य सम्पादन/कार्य के लिए श्रमिकों के नियोजन के संबंध में श्रम विभाग के प्रचलित नियमों का पालन करना होगा।
12. मद् में शशि की उपलब्धता अनुसार कार्य का देयक भुगतान किया जावेगा।
13. सम्पादित कार्य के संबंध में यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की रिकवरी होती है, तो इसकी वरूली संबंधित ठेकेदार से की जावेगी।
14. अन्य शर्तें तथा विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समयावधि में निगम कार्यालय के पी.डब्ल्यू.डी. शाखा से प्राप्त की जा सकती है।


उपरोक्त कार्यों से संबंधित विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में निगम कार्यालय के लोक कर्म शाखा से प्राप्त की जा सकती है, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वेबसाईट www.uad.cg.gov.in तथा विभागीय वेबसाईट www.nagamigamdhamtari.com में अवलोकन एवं डाउनलोड भी की जा सकती है।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)


 कार्यपालन अभियंता
 नगर पालिक निगम धमतरी
 धमतरी, दिनांक 14/7/2021

पृ.क्रमांक/कार्य.अभि./लोक कर्म/निविदा/2021/1123
 प्रतिलिपि –

01. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम धमतरी।
02. माननीय अध्यक्ष (स्पीकर), नगर पालिक निगम धमतरी।
03. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम धमतरी।
05. उपायुक्त महोदय, नगर पालिक निगम धमतरी।
06. प्रभारी सदस्य, आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग, नगर पालिक निगम धमतरी।
07. कार्यालय कलेक्टरेट, जिला – धमतरी।
08. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), धमतरी।
09. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी।
10. प्रेषक, नगर पालिक निगम धमतरी को सूचना फलक में चस्पा करने हेतु।
11. डाटा सेन्टर प्रभारी, नगर पालिक निगम धमतरी उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट में अपलोड करें तथा डाटा सेन्टर रायपुर को भेजे।


 कार्यपालन अभियंता
 नगर पालिक निगम धमतरी

कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

Website - www.nagarnigamdhamtari.com, Email ID - commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

-: मैन्युअल निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 11.2.2 दिनांक 14.7.21 तहत 14वें वित्त आयोग/अधोसंरचना मद्/विकास शुल्क मद् से 18 विभिन्न वार्ड स्थलों में सी.सी. रोड, बी.टी. रोड एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्यों के लिए निविदा शर्तें :-

01. नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 11.2.2 दिनांक 14.7.21 तहत विज्ञापित कार्य के लिए निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों/ठेकेदारों/फर्मों का लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ही ठेकेदारी का पंजीयन होना अनिवार्य है।
02. विज्ञापित कार्य की निविदा में भाग लेने, निविदा प्रपत्र क्रय हेतु आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 23.07.2021 को कार्यालयीन समयावधि सायं 05.30 बजे तक निम्नांकित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति निगम कार्यालय के लोक कर्म शाखा में जमा करना अनिवार्य है -
 01. एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत वैध ठेकेदारी पंजीयन प्रमाण पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
 02. कार्य की निविदा लागत के कम से कम 15 प्रतिशत लागत राशि के बराबर या अधिक राशि का बैंक साल्वेंसी सर्टिफिकेट (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)
 03. पेन कार्ड, विगत 03 वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2019-20) का आयकर रिटर्न।
 04. शासन नियमानुसार जी.एस.टी. में पंजीयन प्रमाण पत्र।
 05. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) में पंजीयन प्रमाण पत्र।
 06. 50.00 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निविदा प्रपत्र/आवेदन में आवेदक फर्म के संबंध में उल्लेखित जानकारी सत्य होने, दस्तावेज प्रमाणित होने, किसी भी विभाग की काली सूची में दर्ज या डिबार नहीं होने एवं नगर पालिक निगम धमतरी में निकटतम रिश्तेदार कार्यरत नहीं होने की जानकारी सत्य होने का नोटरियल शपथ पत्र।

उपरोक्त वांछित समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही तथा उपयुक्त पाये जाने/निर्धारित आर्हता को पूर्ण करने वाले निविदाकर्ता ही निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे तथा उन्हें कार्य के लिए निविदा प्रपत्र जारी किया जायेगा। उपर्युक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि/असत्यता/कपट पाये जाने/कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर निविदाकर्ता को कभी भी अयोग्य घोषित कर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

जिन ठेकेदारों/फर्मों को निगम के कार्यों के लिए आमंत्रित निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जायेगा।

अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन या निविदा प्रपत्र जारी करने या निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन या निविदा प्रपत्र जारी करने या निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा।

03. विज्ञापित कार्यों में से सरल क्रं. 18 में उल्लेखित बी.टी. रोड निर्माण कार्य हेतु डामरीकरण का कार्य हाट मिक्स हाट लेट पद्धति से किया जायेगा। अतः ठेकेदार के स्वामित्व में हाट मिक्सिंग प्लांट होने का लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के कार्यपालन अभियंता या उससे उच्च अधिकारी से प्रमाणित अभिलेख निविदा प्रपत्र क्रय के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
04. विज्ञापित कार्यों में से सरल क्रं. 18 में उल्लेखित बी.टी. रोड निर्माण कार्य के लिए विगत 03 वित्तीय वर्षों के किसी 01 वित्तीय वर्ष में एक ही कार्यदेश में आवेदित कार्य की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत लागत राशि का बी.टी. रोड निर्माण कार्य हाट मिक्स हाट लेट पद्धति से सम्पादन कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र (जो कि कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग अथवा संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा जारी हो) निविदा प्रपत्र क्रय के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
05. बी.टी. रोड निर्माण कार्य हेतु -
 - (i) The contractor shall also be responsible for performance of work carried out by him for a period of 60 (Sixty) month beyond the completion of work for which performance security has to be furnished by him @5% (five percent) of amount of contract. of for his purpose contractor has to submit to the department a Bank Guarantee of 5% amount of the value of work done on every running and final bill payable to him If contractor fails to submit bank guarantee of 5% amount of the gross bill, then 5% amount of bill shall be deducte from his runnig and final bill payment. However, the contactor can get refund of such performance cash security amount deducted if he submits appropriate bank guarantee valid of the period as stated above or 60 (Sixty) month after actual completion.


If require, the Executive Engineer shall ask the contractor to extend the validity period of the Bank Guarantee (s) for such period of such Bank Guarantee accordingly. If the contractor fails to extend the period accordingly, the Executive Engineer shall encash the B.G. before the expiry of the validity period.

- (ii) After three years of completion of construction, 50% (fifty percent) of available performance Bank guarantee shall be returned to the contractor subject to the satisfaction of the Executive Engineer.
- (iii) Remaining performance Bank Guarantee as would be remaining (after recovery all cost plus 15% (Fifteen percent) for rectification of defects, if done by the department or through other agency) shall be returned after 60 (Sixty) months of completion. the performance guarantee will be in addition to the normal security to be deducted as per clause 1 of agreement for the execution of contract.
06. निर्धारित तिथि/समयावधि के उपरांत निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, निविदा प्रपत्र विक्रय नहीं किये जायेंगे और न ही प्राप्त निविदा पर विचार किये जायेंगे।
07. निविदा प्रपत्र क्रय हेतु निर्धारित शुल्क नगद/शासन नियमानुसार बैंक ड्राफ्ट (जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी के नाम देय हो) द्वारा निर्धारित तिथि/समयावधि में ही जमा करना अनिवार्य होगा।
08. विज्ञापित कार्यों के लिए कार्यवार निर्धारित अमानत राशि का एफ.डी.आर. (जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी के नाम से देय हो) जमा करना अनिवार्य होगा। एफ.डी.आर. का फोटो कापी मान्य नहीं होगा/समायोजन मान्य नहीं होगा।
09. विज्ञापित कार्यों के लिए निविदा 03 लिफाफे में (निविदा प्रपत्र एवं अमानत राशि पृथक-पृथक लिफाफे में एवं इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद कर) स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही निर्धारित तिथि 30.07.21 को कार्यालयीन समयावधि सायं 05.30 बजे तक जमा करना होगा। अन्य रीति से एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा। कार्य के लिए निर्धारित अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा/प्रेषित करना अनिवार्य है। नकद राशि स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. निविदा खोलने की कार्यवाही दौरान मूल निविदा एवं अमानत राशि जमा वाला लिफाफे में से प्रथमतः अमानत राशि जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा, निर्धारित अमानत राशि जमा पाये जाने के उपरांत ही मूल निविदा (निविदा प्रपत्र) जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा। निर्धारित अमानत राशि जमा नहीं पाये जाने पर मूल निविदा (निविदा प्रपत्र) जमा वाला लिफाफा नहीं खोला जायेगा तथा संबंधित निविदाकर्ता का जमा/प्राप्त निविदा निरस्त माना जायेगा।
11. कार्यादेश उपरांत श्रम विभाग के प्रचलित नियमों के अनुसार कार्य के लिए श्रमिकों का नियोजन संबंधी प्रमाण पत्र श्रम विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। कार्य सम्पादन/कार्य के लिए श्रमिकों के नियोजन के संबंध में श्रम विभाग के समस्त प्रचलित नियमों का पालन करना होगा। अनुबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य पर नियोजित श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी का भुगतान करना होगा।
12. विज्ञापित कार्यों की निविदा में भाग लेने वाले किसी भी ठेकेदार द्वारा निविदा की प्रस्तुती यह विवक्षित करती है कि उसने निविदा की सूचना एवं समस्त शर्तों तथा अन्य संविदा दस्तावेजों को पढ़ लिया है एवं इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 1970, भारतीय मानकों किये जाने वाले कार्य के क्षेत्र विनिर्देश, मानक एवं प्रक्रिया के संबंध में स्वयं को सतर्क कर लिया है। स्वयं की पहुंच से कार्य स्थल आदि की जाँच कर ली है एवं स्वयं को स्थल के कार्य आदि की उपयुक्तता एवं उपलब्धता के संबंध में संतुष्ट कर लिया है तथा स्वयं को खदानों पर सामग्री की उपयुक्तता के संबंध में संतुष्ट कर लिया है।
13. निविदा सूचना पत्र/एन.आई.टी. की सभी निर्धारित शर्तें निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों पर विहित प्रारूप में संविदा की सभी शर्तों के अलावा बंधनकारी होगी।
14. निविदा/निविदा दर स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी का किसी भी निविदा/प्राप्त निविदा दर को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने तथा आवश्यकतानुसार निविदा शर्तों में संशोधन/परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
15. निविदाकार/फर्म को अपनी निविदा दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा। काट-छाट अथवा ओह्लर राईटिंग की हुई अस्पष्ट निविदा अस्वीकार की जावेगी।
16. कार्य सम्पादन के लिए छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के प्रचलित/विज्ञापन में उल्लेखित एस.ओ.आर. अनुसार निविदा दर प्रतिशत आधार पर प्रस्तुत करना होगा। सम्पादित कार्य का देयके कार्य से संबंधित एस.ओ.आर. के अनुसार भुगतान योग्य होगा।

17. निविदा दर एस.ओ.आर. से अत्याधिक कम प्राप्त होने पर शासन के प्रचलित नियमानुसार निर्धारित अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि नियमानुसार एफ.डी.आर. के रूप में सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। उपरोक्त राशि को उपरोक्त समयावधि में जमा न कराने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
 18. कार्य के लिए जमा अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि संतोषप्रद ढंग से कार्य सम्पादन/कार्य पूर्णता उपरांत नियमानुसार वापसी योग्य होगी।
 19. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा/निविदा दर स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी का किसी भी निविदा/प्राप्त निविदा दर को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
 20. प्राप्त निविदायें खोलने, निविदायें लिस्टिंग किये जाने के उपरांत सफल निविदाकार की जमा निविदा अमानत राशि/एफ.डी.आर. को छोड़कर शेष निविदाकारों की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. वापस/रिलीज कर दी जायेगी। सफल निविदाकार की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. संतोषप्रद ढंग से कार्य सम्पादन एवं कार्य के अंतिम देयक भुगतान उपरांत नियमानुसार वापसी योग्य होगी।
 21. ठेकेदार को निविदा दर की स्वीकृति उपरांत कार्यालयीन सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यानुबंध निष्पादन करना होगा। अन्यथा स्थिति में कार्य के लिए संबंधित ठेकेदार/फर्म की जमा अमानत राशि राजसात कर कार्य सम्पादन हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
 22. कार्यादेश उपरांत ले-आऊट दिये जाने पर निर्देशित स्थल में कार्य तत्काल प्रारंभ कर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। कार्य में लगने वाली समस्त सामग्री की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी। निगम द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री न तो प्रदाय की जावेगी और न ही उसे प्राप्त करने में सहायता की जावेगी।
 23. सभी स्थिति कार्यानुकूल होने के पश्चात् भी ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण/सम्पादित नहीं किये जाने पर पी.डब्ल्यू.डी. के प्रचलित नियमानुसार या अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत तक अर्धदण्ड/पेनाल्टी आरोपित कर, देयक से राशि कटौती किया जायेगा।
 24. ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़े जाने की स्थिति में नियमानुसार शेष कार्य के लिए निविदा आमंत्रित कर कार्य पूर्ण कराया जायेगा एवं शेष कार्य की मूल्यांकित/लागत राशि का 10 प्रतिशत राशि ठेकेदार के पूर्व देयक (यदि देयक भुगतान नहीं किया गया हो) से कटौती कर अथवा उनकी अमानत/सुरक्षा निधि/अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि को राजसात कर अथवा नगर पालिक निगम अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत निगम के बकाया करों/शुल्को/भू-राजस्व की वसूली की तरह/रीति से वसूली की कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में रिस्क एण्ड कास्ट पर या इस रीति से जिन निविदाकारों/ठेकेदारों के कार्यों की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, उन्हें निगम के किसी भी कार्य के लिए निविदा में भाग लेने से अपात्र/वंचित किया जा सकेगा।
 25. ठेकेदार को कार्य का सम्पादन संबंधित साईट इंजीनियर के दिशा निर्देश में निविदा/अनुबंध शर्तों, कार्य का प्राक्कलन, निर्धारित मापदण्ड/गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार करना होगा। कार्य निर्धारित गुणवत्ता युक्त नहीं होने पर उसमें निर्देशानुसार आवश्यक सुधार/मरम्मत कार्य करना होगा। उक्त मरम्मत/सुधार कार्य के लिए ठेकेदार को अलग से कोई अतिरिक्त राशि देय/भुगतान योग्य नहीं होगा। सुरक्षा राशि 05 प्रतिशत (प्रत्येक चल से) रोकी जावेगी। इसी प्रकार शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार देय विभिन्न करों की कटौती करते हुए सम्पादित कार्य/देयक का अधिकतम 90 प्रतिशत राशि चल देयकों के माध्यम से भुगतान की जावेगी।
 26. The Security Deposit of the contractor to the extent of 50% shall be refunded on his getting the completion certificate, provided that the recoveries outstanding against him are realised. Balance 25% of the amount shall be refunded after 4 months in case of building work and 6 months in case of Road work of completion of work, even if the final bill is not passed, balance 25% shall be refunded after the final bill is passed.
- संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ नया रायपुर के पत्र क्रमांक/या.प्र. /निर्देश/203/2017/6476/रायपुर, दिनांक 03.06.2017 द्वारा दिये गए निर्देश अनुसार उपरोक्त शर्त निविदा प्रपत्र के फार्म "ए" के क्लॉस 39 के रूप में सम्मिलित/प्रावधानित माना जावें।
27. कार्य के दौरान विशेष परिस्थिति में राक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार कार्य की लागत में कमी या वृद्धि निविदा प्रपत्र "ए"/पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार की जा सकेगी।
 28. निविदा प्रपत्र "ए" के क्लॉस 11 अनुसार एरकालेशन देय नहीं होगा।

29. विज्ञापित सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण कार्य प्लोटर, वाईब्रेटर का अनिवार्य रूप से उपयोग करते हुए कार्य सम्पादित करना होगा। इसी प्रकार 03 मीटर से अधिक चौड़ाई के सी.सी. रोड निर्माण में चैनल वाईब्रेटर का उपयोग करते हुए कार्य सम्पादित करना होगा।
30. एम 30 ग्रेड सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य का गिक्स डिजाईन अधिकृत शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था से कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
31. सम्पादित कार्य का गुणवत्ता परीक्षण (Test Report) नियमानुसार शासन के मान्यता प्राप्त संस्थान से कराकर टेस्ट रिपोर्ट समयावधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार आर.सी.सी. कार्य में BIS से एप्रूव्ड निर्माता कंपनी द्वारा निर्मित छड़/स्टील का प्रयोग करना होगा तथा क्रय की गई छड़/स्टील का स्वसत्यापित बिल भी कार्य का देयक तैयार करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
32. शासन से स्वीकृति/अनुदान प्राप्ति/मद में राशि की उपलब्धता के अनुसार सम्पादित कार्य का देयक भुगतान किया जायेगा।
33. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य सम्पादन उपरांत स्थल/कार्य का अलग-अलग एंगल से 03-03 कॉपी में उच्च गुणवत्ता का फोटोग्राफ (फोटोग्राफ में कार्य के पूर्ण एवं स्पष्ट नाम लेखन सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
34. निविदाकर्ता/ठेकेदार को कार्य स्थल पर कार्य का विस्तृत विवरण (कार्य का नाम, योजना/मद, कार्य की लागत आदि) दर्शाते एक बोर्ड लगाना आवश्यक होगा।
35. अनुबंधकर्ता ठेकेदार को कार्य के संबंध में शासन के निर्धारित शर्तों, निविदा शर्तों, निविदा प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में निगम द्वारा नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी। निविदा/कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)


 कार्यपालन अभियंता
 नगर पालिक निगम धमतरी